No.A-12026/1/2020-Estt.VII/71
Government of India
Central Water Commission

Sewa Bhawan, Room No.528 (N),
R.K. Puram, New Delhi – 110066.
Dated: 19 February , 2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Filling up the post of Storekeeper at HOC, CWC, Guwahati under the office of B&BBO,CWC, Shillong on deputation/ absorption basis – regarding.

*****

It is proposed to fill up one post of Storekeeper in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) as per 7th CPC, (in PB-I of Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- as per 6th CPC) at HOC, CWC, Guwahati under the office of B&BBO,CWC, Shillong on deputation/absorption basis from amongst Central/State Government Officers fulfilling following eligibility conditions :-

Officers under the Central Government or State Government:

a) i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

ii) With eight years regular service in the post in the level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) as per 7th CPC (PB- 1 Rs.5200-20200 along with grade pay Rs.1900 as per 6th CPC) or equivalent in the parent cadre or department; and

b) Possessing the educational qualifications and experience as under.
i) Graduation from a recognized University/ Institution.
ii) Three years experience of holding stores and store accounts.

2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.

3. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.

4. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Contd......P/2.

5. The pay of the officers selected will be regularized in accordance with the DOPT, OM No.2/29/91-Estt.PC(II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

6. Other terms/conditions as stipulated in Orders/Rules issued by the Govt. of India from time to time will also be applicable.

7. It is requested that application in duplicate in the enclosed prescribed Performa along with:-

(i) Attested copies of APARs for last five years.

(ii) Vigilance Clearance Certificate.

(iii) No Penalty Statement and Integrity Certificate in respect of interested and eligible officers, who can be spared immediately in the event of their selection, may be forwarded to this Commission within 60 days from the date of issue of this circular/publication in Employment News, whichever is later.

8. Applications received after the prescribed time limit or otherwise found incomplete will not be entertained.

<u>Encl: Performa.</u>

(RAJESH SHARMA)
Under Secretary
☎ : 29583287.

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. All Subordinate Offices of CWC/RD Directorate, CWC, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi.
3. All Sections/Dtes./Units of CWC.
4. The Director, SMD, CWC for uploading the same in CWC Website.
5. Under Secretary (Estt-I), Ministry of Water Resources, RD & GR. It is requested that this OM may also be uploaded on the Website of the Ministry.
6. The DoPT, North Block New Delhi. It is requested that this OM may also be uploaded on the Website of the DoPT.
7. File Folder.

PART-I

BIO-DATA

1.	Name	
2.	Date of Birth	
3.	Date of retirement under Central Government or State Government Rules	
4.	Education Qualifications	
5.	Whether experience required for the post are satisfied	
6.	Present post held, date from which held and the pay band and grade pay therein	
7.	Whether willing to be considered for	
	(a) On deputation basis	
	(b) On absorption basis	
8.	Indicate the choice of place of posting on selection to the post	
9.	Experience holding Stores and Store Accounts	
10.	Details of Service:	
	(1) Name of the posts held and employer	
	(2) From	To:
	(3) Pay Band + Grade Pay	
	(4) Nature of appointment i.e. whether ad-hoc or regular	
11.	Whether belongs to SC/ST	
12.	Address for communication and Telephone number	
13.	Remarks if any	

(Signature of Candidate)

Date :

Place :

Contd............P/2.

(30)

PART - II

(TO BE FILLED BY LENDING AUTHORITY)

1. Certified that the particulars given by

   Shri/Kumar/Smt.______________________________

   Designation ______________________________

   Part-I are correct.

2. Certified that no Vigilance/Disciplinary case is either pending or contemplated against him/her.

3. In case of selection he/she will be relieved of his/her duties immediately to take up his/her new assignment.

4. His/her attested copies of APARs for last five years, No Penalty Statement Certificate and Integrity Certificate are enclosed.

Signature
(Name of the Authority)
Designation:____________
Department/Ministry____________
Official Seal____________
Telephone No:____________

सं.ए–12026/1/2020–स्था. VII/
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन, कमरा सं. 528 (उ.),
आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

दिनांक: फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग के अंतगर्त जल विज्ञानीय परिक्षण परिमंडल, गुवाहाटी के कार्यलय में भंडारपालक का पद भरने के संबंध में।

निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति/समावेशन के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग के अंतगर्त जल विज्ञानीय परिक्षण परिमंडल, गुवाहाटी के कार्यलय में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के समरूप वेतनमान स्तर–4 (रू.25500–81100) (6वें वेतन के अनुसार रू.5200–20200/– के पे बैंड–1 और ग्रेड पे 2400/–) में भंडारपालक (स्टोरकीपर) के एक पद को भरने का प्रस्ताव है:–

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी:

(क) (i) मूल संवर्ग/अथवा विभाग में नियमित आधार पर इसके समकक्ष पद पर कार्य कर रहे हों;

अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 1900/–रू ग्रेड पे अथवा समकक्ष सहित 5200–20200/–रू. (वेतन मैट्रिक्स में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के समरूप वेतनमान स्तर–2 है) के पे बैंड में पीबी–1 के पदों पर आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों:

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक हों।
(ii) स्टोर और स्टोर लेखा में कार्य करने का तीन वर्षों का अनुभव।

2. इस कार्यालय अथवा केन्द्र सरकार के अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के पूर्ववर्ती कार्यालय में अन्य बाह्य संवर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए, एक अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा उस तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को बढ़ाया गया है, से दी गई नियमित आधार पर सेवा को, उन मामलों को छोड़कर जिनमें एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड पे या वेतनमान में विलय हो गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए समरूप ग्रेड पे या वेतनमान में दी गई सेवा समझा जाएगा और जहां यह लाभ बिना किसी उन्नयन के सामान्य ग्रेड की जगह उस ग्रेड पे अथवा वेतनमान जिसके लिए केवल ऐसे पदों के लिए बढ़ाया जाएगा।

जारी....पृ.2/–

5. चयनित अधिकारियों का वेतनमान डीओपीटी के समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 05.01.1994 के का.ज्ञा.सं.2/29/91–स्था.पीसी(II) के अनुसार नियमित की जाएगी।

6. अन्य निबंधन और शर्तें जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश/नियमों में निर्धारित की गई है, वे भी लागू होंगी।

7. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदन इसके साथ संलग्न प्रपत्र में दो प्रतियों में निम्न सहित भरा जाए:–

(i) पिछले पांच वर्षों की एपीएआर की सत्यापित प्रतियां।
(ii) सतर्कता निकासी प्रमाण–पत्र।
(iii) इच्छुक और पात्र कर्मचारियों जिन्हें उनके चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के संबंध में कोई शास्ति बकाया नहीं विवरण और सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से और रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने, जो भी बाद में हो, की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस आयोग को भिजवाए जाए।

8. निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त अथवा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

<u>संलग्नः प्रपत्र।</u>

(राजेश शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाषः 29583287

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. के.ज.आ. के सभी अधीनस्थ कार्यालय/नदी आंकड़ा निदेशालय, के.ज.आ., वेस्ट ब्लाक– I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
3. सभी अनुभाग/निदेशालय/इकाइयां, के.ज.आ.।
4. निदेशक, एसएमडी, के.ज.आ. को इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अवर सचिव (स्था. I), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।
6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।
7. फाइल फोल्डर।

भाग– I

55/(95) (25)

जीवन–वृत्त प्रपत्र

1. नाम :
2. जन्मतिथि :
3. केन्द्र सरकार नियमावली के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख :
4. शैक्षणिक योग्यता :
5. क्या पद के लिए अपेक्षित अनुभव को पूरा करते हैं :
6. वर्तमान तैनाती का पद, इस पर तैनाती की तारीख और उसकी ग्रेड पे और पे बैंड :
7. क्या निम्न के लिए विचार करने के इच्छुक हैं :
   (क) प्रतिनियुक्ति आधार पर
   (ख) समायोजन के आधार पर
8. पद पर चयन होने पर तैनाती का वांछित स्थान दर्शाएं :
9. स्टोर संभालने और स्टोर लेखा का अनुभव
10. सेवा का ब्यौरा :
    (1) धारित पद का नाम और नियोक्ता :
    (2) ....से..तक:
    (3) पे बैंड और ग्रेड पे :
    (4) नियुक्ति का प्रकार अर्थात क्या तदर्थ अथवा नियमित हैं :
11. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं
12. पत्राचार का पता और दूरभाष संख्या
13. टिप्पणी यदि कोई हो :

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान :

जारी.....2/

(26)

(नियंत्रक अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि

   श्री / श्रीमती / कुमारी...

   पदनाम...

   द्वारा भाग–I में दी गई जानकारी सही है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उसके विरूद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनिक मामले न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।
3. चयन हो जाने की स्थिति में, उन्हें तत्काल अपने पद से कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे नई नियुक्ति पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।
4. उनकी..तक की रिपोर्ट वाला एपीएआर डोजियर, कोई शास्ति नहीं विवरण और सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर भेजा जाए।

हस्ताक्षर

(प्राधिकारी का नाम)

पदनाम :...

विभाग / मंत्रालय :...

कार्यालय मोहर ....

दूरभाष संख्या ....